## कार्यालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

### -: आदेश :-

दंतेवाड़ा, दिनांक 10-04-2017

क्रमांक- 39 /2013
तीन-1-04

छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक-5670/1481/21-ब/छ.ग. 2015 रायपुर, दिनांक 09.06.2015 वित्त विभाग से अनुमति एफ/2015-21-00656/ब-3/4 दिनांक 15.05.2015 के अनुसार एवं इस स्थापना के सीधी भर्ती विज्ञापन क्रमांक-996/दो-11-9/2003 दंतेवाड़ा, दिनांक 03.09. 2015 के अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना दंतेवाड़ा के लिए सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु चयनित उम्मीद्वार के वेतनमान 9300-34800/- ग्रेड वेतन 4300/- में एवं अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं पर अस्थाई रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए, शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है। वे अपने कार्यभार निर्धारित समयावधि में जिला न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) मुख्यालय में ग्रहण करेंगे।

| क्रमांक | नाम/पिता/पति का नाम | पता |
|---|---|---|
| **सहायक प्रोग्रामर (वेतनमान 9300-34800/- ग्रेड वेतन 4300/-)** | | |
| 1 | श्री विकास केसकर पिता श्री किशोर केसकर | पता-मकान नं.-07, वार्ड क्रमांक 15 नयापारा मोतीलाल नेहरू वार्ड आर. ई.एस.कॉलोनी, जगदलपुर (छ.ग.) |

### -: सामान्य निर्देश :-

1. आपको दिनांक 30-04-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में प्रतिक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को क्रमानुसार नियुक्ति दिया जावेगा।
2. आपको स्वयं का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं के जिले से या जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के मेडिकल बोर्ड से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
3. आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई तौर पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि की होगी। इन दो वर्षों में आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा आपके व्यवहार/आचरण/कार्य दक्षता में कोई कमी या शिकायत पाये जाने पर आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है या परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जा सकती है। परिवाक्षी अवधि पूर्ण कर लेने के पश्चात् यदि स्थायी पद उपलब्ध होगा तो स्थाई किया जावेगा अन्यथा आपकी सेवाएं अस्थाई तौर पर लगातार आगामी आदेश तक जारी रहेगी।

4. आपको कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता, जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके द्वारा दी गई पूर्व जानकारी जांच में असत्य पायी जाती है तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा।

5. आपकी चारित्रिक सत्यापन के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन कराये जाते समय यदि आपको किसी दांडिक मामले में संलिप्त पाया जाता है तो भी यह नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

6. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आगे की शिक्षा बिना पूर्व अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकेंगे। यदि आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के शिक्षा ग्रहण करता हुआ व दोषी पाये जाने पर आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

7. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बिना अनुमति के किसी अन्य शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय एवं अन्य कोई संस्था में सीधे नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा आपके द्वारा किया जावेगा तो आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

8. यदि किसी कारण से आप शासकीय सेवा से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना कार्यालय को देनी होगी अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले एक माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि चालान के द्वारा शासन के पक्ष में जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व बकाया के रूप में की जावेगी।

9. जिला स्थापना दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान आपके कार्य व्यवहार एवं आचरण के बारे में संबंधित पीठासीन न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी से कोई शिकायत प्राप्त होने की दशा में आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

10. आपकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। आपके जाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है और सत्यापन कराये जाने पर यदि आपका दावा झूठा प्रमाणित होगा तो बिना कोई कारण बताये आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी। आपके द्वारा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरूद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

11. आपके कार्यभार ग्रहण करते समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 के अनुसार चल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

10-4-17

**(एस.शर्मा)**
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)**

पृष्ठां.क्रमांक- 393 /2013
तीन-1-04

दंतेवाड़ा, दिनांक 10-04-2017

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय श्री न्यायमूर्ति सी.बी.बाजपेयी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं पोर्ट फोलियो जज, सिविल जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सादर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित।
2. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रायपुर की ओर प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, पेंशन, लेखा एवं कोष जगदलपुर की ओर प्रेषित।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे चयनित अभ्यर्थी के उपस्थित होने पर उनका स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन कर उनकी सेवा पुस्तिका का संधारण करावें।
7. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आवश्यक सेवा अभिलेख एवं वेतन आहरण हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करावें।
8. जिला रोजगार अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा/जगदलपुर/कोण्डागांव/कांकेर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. श्री विकास केसकर, पिता श्री किशोर केसकर, पता-मकान नं.-07, वार्ड क्रमांक-15 नयापारा मोतीलाल नेहरू वार्ड आर.ई.एस.कॉलोनी, जगदलपुर (छ.ग.) को आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. सी.पी.सी., माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड करने बाबत् प्रेषित।
11. DIO, NIC दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10-4-17
(एस.शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)